रामसिंह v/s हेमा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थना पत्र 45/2019 (2019/00381)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 व 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जरिए क्रमांक/राजस्व/2020/467 दिनांक 04/03/2020 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की ~~[illegible]~~ हमने पत्रावली का अवलोकन (अध्ययन) ~~कर~~ बहस प्रकरण पर मनन किया। प्रार्थना में अंकित आराजीयात प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात विपक्षीगण की आराजीयात से लगी हुई है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ~~[illegible]~~ की आराजीयात पर आने-जाने के लिए ग्राम बड का अमराना की आराजी नम्बर 553 की पूर्वी मेड तथा आ. नं. 554 की पश्चिमी मेड पर रास्ता दिया जाना उचित है। आराजी नम्बर 553 हेमा पिता रोडा डांगी के नाम तथा आराजी नम्बर 554 जयराम पिता जीवा डांगी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तावित रास्ता लम्बाई 80 मीटर एवं चौडाई 3 मीटर कुल 240 वर्गमीटर बनता है, जिसकी ग्राम ~~की~~ की डी.एल.सी. अनुसार 15085.00 रुपए तथा इसका दो गुना 30170.00 रुपए कीमत बनती है।

अतः हल्का रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम बड का अमराना पट० लामरी तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित कृषि भूमि आराजी ..... लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
3/10/23	अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली सिगहे से तलब करने पर पेश हुई है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 28/08/23 को पारित आदेशानुसार विपक्षीगण को भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किए है। अतः प्रस्तुत ड्राफ्ट सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मय निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस की प्रति प्रेषित किए जाकर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किया जाकर रेकार्ड में तरमीम किया जावे। पत्रावली पुनः फैसल नम्बर पर रखी जावे। (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़	

रत्नसिंह V/S हेमा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रा०पत्र 45/2019 (2019/00381)

आराजी संख्या 371, 374/717 कीता 2 कुल
रकबा 0.7900 हे० पर आने-जाने के
लिए रास्ता कायम करने बाबत विपक्षी
संख्या 01 हेमा पिता रोड़ा डांगी तथा
विपक्षी संख्या 03 जयराम पिता जीवा डांगी
की ग्राम बड़ का अमराणा स्थित क्रमशः
आराजी संख्या 553 की पूर्वी मेड तथा
आराजी संख्या 554 की पश्चिमी मेड पर
80 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा कुल
240 वर्गमीटर भूमि की कीमत डी.एल.सी
अनुसार 15085.00 रु० का दो गुना 30170.00
रुपए का भुगतान सम्बन्धित को किए
जाने पर उक्त भूमि आराजी संख्या 553
के पूर्वी मेड पर 120 वर्गमीटर एवं आराजी
संख्या 554 के पश्चिमी मेड पर 120 वर्गमीटर
कुल 240 वर्गमीटर को बिलानाम रास्ता
दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।
उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने
के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थी को निर्देशित
किया जाता है कि विपक्षी सं०1 हेमा पिता
रोड़ा डांगी नि० बड़का अमराणा के नाम का
15085.00 रुपए का तथा विपक्षी संख्या 3
जयराम पिता जीवा डांगी निवासी बड़ का
अमराणा के नाम का 15085.00 रुपए के
ड्राफ्ट बनवा कर सम्बन्धित को भुगतान
हेतु प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर
उक्त आदेशानुसार सम्बन्धित को भुगतान
हेतु ड्राफ्ट तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मय निर्णय
की प्रति के साथ [illegible] पालनार्थ
प्रेषित किए जावे। सम्बन्धित को भुगतान
के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि को
बिलानाम रास्ता दर्ज किया जाकर रेकार्ड मे
तरमीम किया जावे। निर्णय लिखाया जाकर
सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़